न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी- मांगीलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः- 10/2024

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. धापू पत्नि सतारखां जाति तेली मुसलमान निवासी मतौड़ तहसील बापिणी जिला फलोदी हाल निवास रोहिड़नगर, आमला तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. निजामदीन पुत्र हासमखां 2. मोजदीन पुत्र हासमखां 3. हनीफखां पुत्र हासमखां 4. सिकन्दरखॉ पुत्र इस्माईलखां 5. अजीजखॉ पुत्र इस्माईलखॉ जाति तेली मुसलमान निवासी रोहिड़नगर आमला तहसील लोहावट जिला फलोदी। 6. राजस्थान राज्य सरकार जरीये भूमिधारी तहसीलदार लोहावट। 7. उप पंजीयक लोहावट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>संपत्ति आदेश 39 नियम 02 सी पी सी</u>

उपस्थित :-

1. श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही।

निर्णय

दिनांक : 29.05.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल आमला राजस्व ग्राम रोहिड़नगर के खसरा नम्बर 109 रकबा 19.0849 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 03 का 1/4

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 04 का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 05 का 1/12 हिस्सा बन्ट आता है प्रार्थीया ने अपने बन्ट की भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क **ए बी सी डी** के मध्य है। प्रार्थीया इसी अनुसार अपने बन्ट व हक हिस्से की भूमि का बन्टवाड़ बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में करवाना चाहती है तथा प्रार्थीया अपने बन्ट की भूमि का बन्टवाड़ करवाने के अधिकारी है। जिसका प्रार्थीया ने वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी की भूमि है प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को कई बार वादग्रस्त भूमि का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार भूमि का बन्टवाड़ करवाने के लिए कहा गया लेकिन अप्रार्थीगण ने आज दिन कोई बन्टवाड़ नही करवाकर टालमटोल करते रहे है। प्रार्थीया ने नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए बी सी डी की अपने कब्जा काश्त की भूमि को कड़ी मेहनत एवं लगन से उपजाउ बनाया है दिनांक 15.01.2024 को अप्रार्थीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के सयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से निर्माण सामग्री डालकर हड़पने की नियत से कब्जा करने ऐलानिया धमकी दी ओर बन्टवाड़ करवाने से साफ इन्कार कर दिया। तथा अप्रार्थीगण ने यह भी ऐलानिया कहा की बिना बन्टवाड़े करवाये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि को अजनबी क्रेताओ को बेचान कर कब्जा करवा देगे। जिससे प्रार्थीया के मन में भय व्याप्त हो गया। प्रार्थीया अबला नारी है धनबल से मजबुत अप्रार्थीगण का सामना करने में असमर्थ है। यदि अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के अपने नापाक इरादो में सफल हो जाते है ओर प्रार्थीया को मार्क ए बी सी डी के कब्जा काश्त से बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपायी रूपयो पैसो में नही की जा सकेगी। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का मार्क ए बी सी डी पर कब्जा काश्त आज दिन तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीया उसी अनुसार मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार है अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती से प्रार्थीया के कब्जा काश्त एवं जमीन पर जबरन कब्जा कर वर्तमान कणा माठ को खुर्द-बुर्द करने व बेचान आदि करने के फिराक में है। जो बिना विभाजन करवाये अप्रार्थीगणो को कोई अधिकार नही है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीया ने पेश किया।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरीये सम्मन तलब किये गये। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अर्जेन्ट सुनवायी का प्रार्थना पत्र पेश अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया जो बाद एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 05.02.2024 वादग्रस्त भूमि के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गयी तथा अप्रार्थीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने हेतु अधिवक्ता प्रार्थीया को दस्ती जारी की गयी। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को भेजे गये

सहायक कलक्टर
लोसवट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

सम्मन की अक रशिदे न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी। अप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के 30 दिवस से अधिक अवधी व्यतित होने के बाद भी अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अप्रार्थीगण को न्यायालय में उपस्थिति के लिए बार बार आवाजे लगवायी जाने के बावजूद उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की मैरीट पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत बन्टवाड़ा प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य नही हुआ है जमाबन्दी सामलाती है नक्शा भी सामलाती है। प्रार्थीया को सामलाती भूमि में 1/12 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है तथा प्रार्थीया ने अपने हक हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया हुआ है ओर मौके पर भूमि कणा माठ से अलग की हुई है प्रार्थीया ने नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए बी सी डी की अपने कब्जा काश्त की भूमि को कड़ी मेहनत एवं लगन से उपजाउ बनाया है दिनांक 15.01.2024 को अप्रार्थीगण ने बिना किसी कानूनी अधिकार के सयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से निर्माण सामग्री डालकर हड़पने की नियत से कब्जा करने ऐलानिया धमकी दी ओर बन्टवाड़ा करवाने से साफ इन्कार कर दिया। तथा अप्रार्थीगण ने यह भी ऐलानिया कहा की बिना बन्टवाड़े करवाये वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि को अजनबी क्रेताओ को बेचान कर कब्जा करवा देगे। जिससे प्रार्थीया के मन में भय व्याप्त हो गया। प्रार्थीया अबला नारी है धनबल से मजबुत अप्रार्थीगण का सामना करने में असमर्थ है। यदि अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के अपने नापाक इरादो में सफल हो जाते है ओर प्रार्थीया को मार्क **ए बी सी डी** के कब्जा काश्त से बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपायी रूपयो पैसो में नही की जा सकेगी। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का मार्क **ए बी सी डी** पर कब्जा काश्त आज दिन तक निरन्तर कब्जा चला आ रहा है प्रार्थीया उसी अनुसार मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से वाद ग्रस्त भूमि पर काबिज काश्तकार है अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती से प्रार्थीया के कब्जा काश्त एवं जमीन पर जबरन कब्जा कर वर्तमान कणा माठ को खुर्द-बुर्द करने व बेचान आदि करने के फिराक में है। जो बिना विभाजन करवाये अप्रार्थीगणो को कोई अधिकार नही है। तथा प्रार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि सामलाती कब्जे काश्त की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त कानुनन अवधारित किया जाता है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन के

सहायक कलक्टर
बाप (?) जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

मामले में प्रत्येक सहखातेदार के बन्ट में विधिवत माप व सीमाकंन के आधार पर बन्टवारा करते हुए अच्छी से अच्छी और निम्न से निम्न कोटी की भूमि समान रूप से दिये जाने का प्रावधान है इसलिए माप एवं सीमाकंन के आधार पर बन्टवारे से पूर्व किसी भी सहखातेदार को किसी भी रूप में सहखातेदारी की भूमि के किसी भू-भाग विशेष पर पुख्ता कब्जा करने की अनुमति नही दी जा सकती है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार ता-फैसला दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीन आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन का निर्धारण कर विनिश्चिय किया जाना है जो निम्न प्रकार है-

प्रथम दृष्टया मामला - प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की रेकॉर्डेड अविभाजित कृषि भूमि है वादग्रस्त सामलाती कब्जे काश्त की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त कानुनन अवधारित किया जाता है धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन के मामले में प्रत्येक सहखातेदार के बन्ट में विधिवत माप व सीमाकंन के आधार पर बन्टवारा करते हुए अच्छी से अच्छी और निम्न से निम्न कोटी की भूमि समान रूप से दिये जाने का प्रावधान है इसलिए माप एवं सीमाकंन के आधार पर बन्टवारे से पूर्व किसी भी सहखातेदार को किसी भी रूप में सहखातेदारी की भूमि के किसी भू-भाग विशेष पर पुख्ता कब्जा करने की अनुमति नही दी जा सकती है। अप्रार्थीगण मौके पर कणा माठ को खुर्द बुर्द कर सामलाती भूमि के विशेष भू-भाग पर कब्जा करने की मंशा से प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने का कोई अधिकार नही है इस स्थिति में अविभाजित कृषि भूमि को वाद के निस्तारण तक सरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है।

अपूर्णीय क्षति - प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की रेकॉर्डेड सुयंक्त खातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि का मौके पर कणा माठ से अन्दाजीया तौर पर अलग अलग कर खेती बाड़ी की जा रही है तथा प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्तकार है। लेकिन मौके पर कणा माठ को खुर्द बुर्द कर सामलाती भूमि के विशेष भू-भाग पर अप्रार्थीगण कब्जा कर प्रार्थीया को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने के नापाक मंशुबो में कामयाब हो जाते है तो निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को कारीत होगी जिसकी भरपायी रूपयो पैसो में नही आंकी जा सकेगी। अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

सहायक कलक्टर
लोलवट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

सुविधा सन्तुलन – प्रार्थना पत्र के मुख्य बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में प्रार्थीया ने साबित किये है दोनो बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष स्वतः साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता-फैसला दावा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल आमला राजस्व ग्राम रोहिड़ानगर के खसरा नम्बर 109 रकबा 19.0849 हैक्टेयर भूमि के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति ता-फैसला दावा कायम रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner